## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

इजलास – श्री रामनिवास मीना ( आर.ए.एस. )

प्रकरण संख्या – 136/2023/राजस्व वाद

उनवान

1. रमेशचन्द पि. देवीलाल जाति तेली नि. बानौर तहसील रायपुर
2. लक्ष्मीनारायण पि. देवीलाल जाति तेली नि. बानौर तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. इन्द्राबाई बेवा प्रभूलाल जाति तेली नि. बानौर तहसील रायपुर
2. बालचन्द पि. प्रभूलाल जाति तेली नि. बानौर तहसील रायपुर
3. कैलाशचन्द पि. प्रभूलाल जाति तेली नि. बानौर तहसील रायपुर
4. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स जरिये शाखा प्रबंधक झालरापाटन
5. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक झालरापाटन
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 91 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री विनोद कुमार शर्मा

वकील प्रतिवादीसं. 1, 2, 3 – श्री महेन्द्रसिंह जैन

दिनांक : 28/02/2024

### निर्णय

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम बानौर तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता स. 165 की आराजी किता 12 रकबा 3.4144 हेक्टर भूमि एवं जमाबंदी सं. 2068–71 के खाता स. 134 की आराजी किता 13 रकबा 27 बीघा भूमि के संबंध में रा.टी.एक्ट की धारा 88 , 91 , 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ... गंगाराम तेली के नाम ... प्रतिवादीगण की पुश्तैनी हिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त वा... है ... आराजी है। पक्षकारान का पारि...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2024



Scanned with OKEN Scanner

गंगाराम मृतक

देवीलाल मृतक पुत्र
- रमेशचन्द पुत्र
- लक्ष्मीनारायण पुत्र

प्रभूलाल मृतक पुत्र
- बालचन्द पुत्र
- कैलाशचन्द पुत्र
- इन्द्राबाई पत्नि

ग्राम बानोर की जमाबंदी सं. 2068–71 के खाता स. 134 की आराजी किता 13 रकबा 27 बीघा भूमि शामलाती खातेदारी में दर्ज थी उसी दौरान प्रभूलाल की मृत्यु हो जाने से उसके वारीसान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हुई एवं ग्राम बानौर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता स. 165 की आराजी किता 12 रकबा 3.4144 हेक्टर भूमि वादीगण के पिता देवीलाल व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा होकर वादीगण के पिता के हिस्से दर्ज हुई।

वादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 29.04.2021 को हो चुकी है जिनका फोती नामा.दर्ज करवाने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण ने गलत तरीके से शुद्धि आदेश करवाकर नामा.सं. 12 दिनांक 04.03.2022 से जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता स. 165 की आराजी किता 12 रकबा 3.4144 हेक्टर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है। जिससे वादीगण उक्त आराजी में खातेदारी की घोषणा करवाकर प्रतिवादीगण के नाम कम कराने के अधिकारी है। नामा.सं. 12 दि. 04.03.2022 वादीगण के प्रति शून्य होकर निरस्त करने योग्य है। वाद कारण दि. 10.07.2023 को तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने तहसीलदार सा. रायपुर को नामा.दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम बानौर तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता स. 165 की आराजी किता 12 रकबा 3.4144 हेक्टर भूमि बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम खाते से कम किये जावे।

वादपत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, आधारकार्ड की प्रति, ग्राम बानौर की जमाबंदी खाता सं. 165, 134, 146 [illegible] तरण व नामा.सं. 12 की नकल, शुद्धि पत्र की नकल, [illegible] दि. 22.11.2023, पटवारी रिपोर्ट दि. 02.11.2023, प्रार्थना पत्र दि. [illegible] अन्य राजस्व नकल प्रतियां पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह जैन ने वकालातनामा प्रस्तुत कर स्वीकारात्मक जवाब पेश किया।

दिनांक 03.01.2024 को उभयपक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। उभयपक्षकारान की पहचान वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा की गई। उभयपक्षकारान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वादपत्र, स्वीकारात्मक जवाब, राजीनामा पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षकारान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया।

प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम बानौर तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता स. 165 के अनुसार आराजी किता 12 रकबा 3.4144 हेक्टर भूमि बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के खातेदारी में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी बंटवारा होने से उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी वादीगण के हिस्से में आयी परन्तु शुद्धि दिनांक 11.02.2022 से उक्त आराजी में से वादीगण के नाम हटा दिये गये है जो कि सही नहीं है। तहसील रायपुर के पत्र क्रमांक 963 दिनांक 22.11.2023 से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में दर्ज किया गया शुद्धि पत्र गलत है वास्तव में उक्त आराजी बंटवारे से वादीगण के हिस्से में आयी थी। तहसीलदार रायपुर द्वारा उक्त आराजी को वादीगण के खाते दर्ज करने की अनुशंषा की। पक्षकारान के मध्य दिनांक 03.01.2024 को हुये आपसी राजीनामें अनुसार भी उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज करने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम बानौर तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता स. 165 की आराजी किता 12 रकबा 3.4144 हेक्टर भूमि बिस्वा भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम खाते से कम किये जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested

(रामनिवास मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री रामनिवास मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 136/2023/राजस्व वाद

उनवान

1. रमेशचन्द्र पि. देवीलाल जाति तेली नि. बानौर तहसील रायपुर
2. लक्ष्मीनारायण पि. देवीलाल जाति तेली नि. बानौर तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. इन्द्राबाई बेवा प्रभूलाल जाति तेली नि. बानौर तहसील रायपुर
2. बालचन्द पि. प्रभूलाल जाति तेली नि. बानौर तहसील रायपुर
3. कैलाशचन्द पि. प्रभूलाल जाति तेली नि. बानौर तहसील रायपुर
4. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स जरिये शाखा प्रबंधक झालरापाटन
5. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक झालरापाटन
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री विनोद कुमार शर्मा

वकील प्रतिवादीसं. 1, 2, 3 – श्री महेन्द्रसिंह जैन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..............................व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम बानौर तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता स. 165 की आराजी किता 12 रकबा 3.4144 हेक्टर भूमि बिस्वा भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम खाते से कम किये जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

उपखण्ड अधिकारी
COURT 2024



Scanned with OKEN Scanner

निज ............ मुवक्किल ............ बाबत ............ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ............
............ रुपये सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ............ का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/02/24 को जारी की गई।

(रामनिवास मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

| मुद्दई | रुपया | पैसे | मुदायलह | रुपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिशनर | | |
| फीस कमिशनर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक मीजान | | | मीजान | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Niwas Meena
Date: 2024.03.28 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner